

कि संस्था से संबंधित कोई अभिलेख एवं सामग्री जिस किसी के पास उपलब्ध हो सूचना प्रकाशन के 15 पन्द्रह दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें. पश्चात् प्रभार न सौंपने के अभियोग में संबंधित के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 74 एवं 75 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही पंजीबद्ध की जा सकेगी.
सूचना आज दिनांक 18 फरवरी 1988 को जारी की गई.

ए. पी. पटेल,
परिसमापक.

(355)

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ
झाबुआ, दिनांक 11 फरवरी 1988

क्र. 279/परिसमापनासंभवा.—मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कार्यालय द्वारा कारण-बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 2340, दिनांक 5 नवम्बर 1986 से सिंचाई सहकारी संस्था मर्यादित, देवीगढ़, पंजीयन क्रमांक 396, दिनांक 21 मार्च 1966 को दिया गया कि उक्त सहकारी संस्था को कारण-बताओ सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों के आधार पर क्यों नहीं परिसमापन में लाई जावे? इसपर संस्था का उत्तर 15 दिवस में कारण-बताओ सूचना-पत्र प्राप्त के दिनांक से चाहा गया था. इस कारण-बताओ सूचना-पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया था कि समयावधि में उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि उक्त सहकारी समिति को कुछ नहीं कहना है. उक्त सहकारी समिति को कारण-बताओ सूचना-पत्र प्राप्त हो चुका

है. समयावधि समाप्त हो गई है. उक्त सहकारी समिति ने लेखी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है. कारण-बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों से मैं, एम. एस. व्यास, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, झाबुआ सहमत हूँ एवं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अन्तर्गत जो अधिकार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के शासन क्रमांक एफ।5-6-79।आई।15।1, दिनांक 27 अगस्त 1979 के अनुसार प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए मैं, एम. एस. व्यास, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, झाबुआ, सिंचाई सहकारी समिति मर्यादित, देवीगढ़, पंजीयन क्रमांक 396, दिनांक 21 मार्च 1966 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ-ही-साथ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री व्ही. एफ. रामटेके, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. परिसमापक संस्था का तत्काल चार्ज ग्रहण करें एवं आदेश दिनांक से तीन माह के अन्दर अपना अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी 1988 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387)

एम. एस. व्यास,
सहायक पंजीयक (प्र.).

मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल ✓

(वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17, उप-धारा (1) के खण्ड (ख) कि शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल, केन्द्रीय मण्डल के परामर्श से वातावरण में व्याप्त वायु प्रदूषण उत्सर्जनों के मानक निर्धारित करता है :—

वायु मण्डल में वायु की गुणवत्ता के मानक

श्रेणी	क्षेत्र	सांद्रता माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर			
		सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर	सल्फरडाइ आक्साइड	कार्बन मोनो आक्साइड	नाइट्रोजन आक्साइड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अ. औद्योगिक एवं मिश्रित क्षेत्र	500	120	5000	120
ब. आवासीय एवं ग्रामीण क्षेत्र	200	80	2000	80
स. संवेदनशील क्षेत्र	100	30	1000	30

2. बिमनी उत्सर्जन के मानक
ए. सीमेन्ट

सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर के सामान्य तापक्रम (250 से) पर मानक

क्षमता	गिलीग्राम प्रति घनमीटर	
	सुरक्षित क्षेत्र	अन्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1. 200 टन प्रतिदिन या कम	250	400
2. 200 टन प्रतिदिन से अधिक	150	250

2. ताप विद्युत् गृह
सस्पेंडेड पाटिकुलेट मीटर के मानक

बाँयलर क्षमता	सुरक्षित क्षेत्र	अन्य क्षेत्र	
		मिलीग्राम प्रति घन मीटर 25° से	अन्य क्षेत्र
(1)	(2)	पुराना (1979 से पूर्व) (3)	नया (1969 के पश्चात्) (4)
200 मेगावाट से कम	150	600	350
200 मेगावाट या अधिक	150		150

(ब) सल्फरडाई आक्साइड के नियंत्रण हेतु मानक (चिमनी की ऊँचाई के अनुसार)

बाँयलर क्षमता (1)	चिमनी की ऊँचाई (2)
200 मेगावाट से कम	एच = 14 (व्यू) ^{0.3}
200 मेगावाट और 500 मेगावाट के बीच	220 मीटर
500 मेगावाट या अधिक	275 मीटर

व्यू = सल्फरडाई आक्साइड उत्सर्जन किलोग्राम प्रति घंटे में
एच = चिमनी की ऊँचाई मीटर में

3. एकीकृत लोहा एवं इस्पात

पाटिकुलेट मीटर के मानक (1)	मिलीग्राम प्रति घन मीटर 25° से. (2)
सिट्टरिंग संयंत्र	150
कोक ओवन	150
वाल्व भट्ठी (बनास्ट फर्नेस)	150
इस्पात निर्माण : सामान्य प्रक्रिया में	150
आक्सीजन लेसिंग के समय	400

4. उर्वरक (यूरिया)
पाटिकुलेट मीटर के मानक

प्रक्रिया	उत्सर्जन सीमा मिलीग्राम प्रति घन मीटर में 25° से.
प्रीलिग टावर	50

5. नाइट्रिक एसिड
नाइट्रोजन आक्साइड के मानक
3 किलोग्राम नाइट्रिक आक्साइड, तनु अम्ल के प्रति टन में (सांद्रता उत्पादन के पूर्व)

6. गंधक का अम्ल (सल्फ्यूरिक एसिड)
सल्फरडाई आक्साइड एवं एसिड मिस्ट के मानक

प्रक्रिया (1)	सल्फरडाई आक्साइड उत्सर्जन (2)	अम्ल धूँध उत्सर्जन (एसिड मिस्ट) मिलीग्राम घन मीटर (3)
सिंगल कांटेक्ट सिंगल एब्सॉर्पशन	10 कि. ग्राम प्रति टन 100% सांद्र अम्ल के उत्पादन पर.	50
डबल कांटेक्ट डबल एब्सॉर्पशन	4 कि. ग्राम प्रति टन 100% सांद्र अम्ल के उत्पादन पर.	50

